



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 24.02.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार व एक किशोर हिरासत में, कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल एवं अवैध हथियार बरामद ।

आज दिनांक 24.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार जनपद में हो रहे वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर ग्राम बलवा गेट दिल्ली रोड के पास वाहन चोर गिरोह के 04 सदस्यों को चोरी की 10 मोटरसाइकिल व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस गैंग में शामिल एक किशोर भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ/वाहन चोरी करने का तरीका:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया गया कि बाजार में दुकानों के बाहर जो व्यक्ति अपने वाहनों को खड़ा करके सामान खरीदने चले जाते हैं, ऐसे वाहनों के लिए पहले से ही रैकी में लग जाते हैं और व्यक्ति के सामान खरीदने जाते ही तुरन्त वाहन चोरी कर लेते हैं। उक्त बरामदा चोरी की मोटरसाइकिलें आस-पास के जनपद/राज्यों मु0नगर, दिल्ली, हरियाणा से चोरी करके बेच देते हैं, ये मोटर साइकिलें भी चोरी की हैं, जिन्हे आज बेचने के लिए जा रहे थे और मोटरसाइकिलों के लिए साधन सवारी का इंतजार कर रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- करण पुत्र नरेश निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2- मोहित पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3- वर्षित पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम सरनावली थाना फुगाना जनपद मु0नगर।
- 4- सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मु0नगर।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- मु0अ0सं0 285/20 धारा 457,380, 411 भादवि0 थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 2- मु0अ0सं0 310/2014 धारा 379 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 3- मु0अ0सं0 033307/2010 धारा 379 भादवि ई पुलिस स्टेशन जिला क्राइम ब्रान्च दिल्ली स्टेट दिल्ली।
- 4- मु0अ0सं0 445/2018 धारा 379 भादवि थाना पानीपत सिटी जिला पानीपत हरियाणा।
- 5- मु0अ0सं0 88/21 धारा 420/465/411/414 भा0द0वि0 थाना कोतवाली शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की 10 मोटरसाइकिल (1. स्प्लेण्डर नं0-UP-17F-2677, 2. सीडी डॉन नं0- DL-7SAT-9677, 3. स्प्लेण्डर नं0- DL-7SAT-8576, 4. स्प्लेण्डर नं0-HR-05L-8607, 5. स्प्लेण्डर नं0-UP-1R-0736, 6. पल्सर नं0-UP-11AB-7232, 7. हीरो होण्डा नं0-UP-15CL-3468, 8.हीरो होण्डा नं0-HR-05W-7633, 9. सुपर स्प्लेण्डर नं0-UP-17E-5747, 10. आर-15 यामाह नं0-UP-15AM-0889)।

2. अवैध 04 चाकू।

ट्रेस हुई चोरी की गयी मोटर साइकिलों का विवरण:-

1- मोटर साइकिल संख्या UP-11 AH-4524 मु0अ0सं0 310/2014 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2-मोटर साइकिल संख्या DL-7S AT-9677 FIR No- 033307/10 ई पुलिस स्टेशन एमवी चोरी जिला क्राइम ब्रान्च दिल्ली स्टेट दिल्ली।

3-मोटर साइकिल संख्या HR-05 L-8697 मु0अ0सं0 445/2018 पुलिस थाना पानीपत सिटी जिला पानीपत हरियाणा। शेष बरामदा मोटर साइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री सत्यनारायण दहिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार कोतवाली शामली जनपद शामली।

3. का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4. का0 राहुल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5. का0 ज्योति प्रकाश थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 गैंगस्टर गिरफ्तार:-

आज दिनांक 24.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर शामली बस स्टैण्ड से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 गैंगस्टर देव गुर्जर उर्फ चौहान व महताब को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- देव गुर्जर उर्फ चौहान पुत्र महताब निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली।
- 2- महताब पुत्र पवन सिंह निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- मु0अ0सं0 759/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 2- मु0अ0सं0 486/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 3- मु0अ0सं0 706/19 धारा 63/72 आबकारी व 272, 273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री जय सिंह नागर बघेल थाना कैराना जनपद शामली।
- 2- का0 कंवरपाल थाना कैराना जनपद शामली।
- 3- का0 पवन भाटी थाना कैराना जनपद शामली।
- 4- का0 भागमल थाना कैराना जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा दुष्कर्म मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 24.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी भवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सर्विलांस की सहायता से बहला फुसलाकर ले जाई गयी नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में वांछित अभियुक्त को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । जिसके सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.01.2021 को थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी गढीपुख्ता को दिये गये ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- दीपक पुत्र राम मेहर निवासी ग्राम धनैना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 2- म0का0 सरोज थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

